FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अपील श्रवण योग्य नहीं होने से खारिज 06/8/19

APP-A

Crim-1

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

छोटन लाल पुत्र कालूराम जाति माली बनाम मोती पुत्र भूरमा जाति रेबारी व अन्य

किस्म मुकदमा 225 राज०काश्त०अधि० नम्बर 262 सन् 2019 (पीसांगन)

2019/00262 (करनोस)

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री एन.एस.राजावत श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
6.8.19	यह अपील श्री एन.एस.राजावत एड्वोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पींसागन के आदेश दिनांक 25.06.2019, प्रकरण संख्या 40/2019 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश की गई। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक की प्रार्थना पत्र व अपील में बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रिवेंटिव धारा है जिसके तहत् आवश्यक प्रकृति के प्रकरणों में अतिशीघ्र अनुतोष प्रदान किया जाना आवश्यक है परन्तु प्रार्थी/अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 01.05.2019 की पालना में नोटिस तामिल करवाये जाने के उपरान्त भी बार–बार निवेदन किये जाने के बावजूद अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पर आदेश पारित नहीं कर एक प्रकार से प्रार्थी/अपीलांट के अनुतोष को अस्वीकार कर दिया गया है। जिससे प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मूल वाद एवं अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र का आशय ही समापत हो रहा हैं इस कारण प्रार्थी/अपीलांट को यह अपील आदेश दिनांक 25.06.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला अपील अप्रार्थीगण को प्रार्थी के खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1015, 1016, 1017 कुल किता 3 कुल रकबा 0.97 है. अवस्थित ग्राम करनोस तहसील पींसागन की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किये जाने के आदेश प्रदान करावे अथवा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के आदेश दिनांक 25.06.2019 को संशोधित किया जाकर अप्रार्थी/रेस्पोडेन्टस को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किय जाने के आदेश प्रदान करावे। अभिभाषक अपीलांट की एक पक्षीय बहस सुनी गई एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25.06.2019 को आदेशिका में यह आदेश दिये कि प्रतिवादीगण जवाब हेतु समय चाहते है। अन्य प्रतिवादी का सम्मन वादी जरिये रजिस्टर्ड एडी पुनः पेश करें। पत्रावली दिनांक 06.08.2019 को पेश हो। जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण/अपीलांटस ने उक्त उक्त आदेश के विरूद्ध न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की हैं। अभिभाषक अपीलांट द्वारा उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के अन्तरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील श्रवणायोग्य नहीं हैं। मान्नीय राजस्व मण्डल राज.की लार्जर बेंच द्वारा पारित आदेश 12.03.2014 में कथन किया कि "Revenue Appellate Authority has jurisdiction under Section 225 of the Act to entertain an appeal against an ex-parte or ad-iterim ex-parte order passed by a Trial Court under Section 212 of the Act, but the Revenue Appellate Authority has no jurisidiction to	लगातार

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

पी.मो.ना. 262/19/225

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

सोहन लाल बनाम मोहन व अन्य.

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर 2019/00262	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	श्री एन.एम.रावत श्री	
लगातार	entertain appeals against such ad-interim ex-parte order which are effective only till next date of hearing."। माननीय मण्डल की उक्त नजीर द्धारा अपील चलने योग्य नही पायी जाती हैं। अतः अपील अपीलांट श्रवणा योग्य नहीं होने से खारिज की जाती हैं। मिसल फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।	
	6/8/19 राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	